29.09.14 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ।

आरोपी सह श्री तारेन्द्र तुरकर अधिवक्ता।

फरियादी के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320(2) दंड प्रक्रिया संहिता का इस आषय से पेष किया गया कि प्रार्थी एवं आरोपी आपस में जाति समाज के होकर काका-भतिजा है। आरोपी से अब संबंध मधुर हो चुके है। उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। अतः राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है ।

फरियादी / आहत स्वयं उपस्थित उसकी पहचान अधिवक्ता श्री तारेन्द्र तुरकर द्व ारा की गईं

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्षित होता है कि आरोपी के विरूद्ध धारा–294, 323, 506 भाग–2 भा.दं.वि. के आरोप में अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–294, 506 भाग–दो भादंवि का आरोप शमनीय व न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी ने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके संबंध मधुर हो जाना व्यक्त किया गया है। उभयपक्ष के संबंध मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है ।

इसी स्तर पर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा अंतर्गत धारा-320 दंड प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रूकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा विधिविरूद्ध ना होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी-फूलभान, ढालचंद एवं संपत्तियाबाई को धारा—294, 323, 506 भाग—2 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण अविलंब अभिले (सिराज अली) न्या.मजि.प्र. श्रेणी, बैहर प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलंब अभिलेखागार में जमा किया जावे।